

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या: 1278 सन 2020

राज्य-----

बनाम

-----पप्पू

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप पप्पू पर निम्न आरोप लगाता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 14.01.2020 समय करीब 10.30 बजे स्थान चितौला पुल, अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुरजा देहात, जिला बुलन्दशहर के नीचे सड़क पुख्ता पर आपने, अन्य के साथ, अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय व ज्ञानपूर्वक तथा उन परिस्थितियों में जान से मारने की नीयत से थानाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी पर आग्नेयास्त्र से फायर किया, जिससे वे बाल बाल बचे, यदि आपके किये गये फायर से किसी भी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते, इस प्रकार आपने **भारत संघ की धारा 307** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 18.12.2020

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक: 18.12.2020

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या: 1278 सन 2020

राज्य----- बनाम -----पप्पू

अपराध संख्या : 13 सन 2020

धारा: 307 भा0दं0सं0

थाना: खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार अभियुक्त पप्पू पर जुर्म अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12.01.2021 को पेश हो।

दिनांक: 18.12.2020

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या: 1312 सन 2020

राज्य.....

बनामपप्पू

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा, जिला बुलन्दशहर एतद्वारा आप पप्पू पर निम्न आरोप लगाता हूँ:-

यह कि दिनांक 14.01.2020 समय करीब 10.30 बजे स्थान चितौला पुल, अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुरजा देहात, जिला बुलन्दशहर के नीचे सड़क पुख्ता पर आपको पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर, जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ, जिसे रखने का आपके पास कोई वैध अधिकारपत्र नहीं था, इस प्रकार आपने **आयुध अधिनियम की धारा 3/25** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 18.12.2020

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक: 18.12.2020

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या: 1312 सन 2020

राज्य.....

बनामपप्पू

अपराध संख्या: 14 सन 2020

धारा: 3/25 आयुध अधिनियम

थाना: खुरजा देहात, जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार अभियुक्त पप्पू पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12.01.2021 को पेश हो।

दिनांक: 18.12.2020

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।